COURT FEE 10रु. Rs.10 ... TEN RUPEES

280

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, म.प्र.

पुनरीक्षण प्रकरण क्र............/2016 निग-2617-I-16

पुनरीक्षणकर्तागणः– 1. श्रीमति अर्चना चटर्जी पति श्री सुब्रतो चटर्जी, निवासीं– ए–2 601, काव्यधारा काम्पलेक्स, धोकलनाका कोल शेड थाने वेस्ट मुम्बई द्वारा मुख्त्यारआम श्री बलराज विरहा पिता स्व. संपतलाल विरहा निवासी– ए.पी.आर.–2 बिलहरी,जबलपुर, म.प्र.

2. श्रीमति सुपर्णा मुखर्जी पति श्री सुशांत मुखर्जी, निवासी– डी–2 वृन्दावन अपार्टमेंट आडूगोडी बैंगलोर–30 द्वारा मुख्त्यारआम श्री बलराज विरहा पिता स्व. संपतलाल विरहा निवासी– ए.पी.आर.–2 बिलहरी, जबलपुर, (म.प्र.)

3. श्रीमति अपर्णा प्रजापति पति श्री आनंद प्रजापति, निवासी–संजीवनी नगर, बैरागढ़ एयरपोर्ट के पास, पुलिस सोसायटी भोपाल, (म.प्र.)

श्री बलराज विरहा, अधि. द्वारा आज दिनांक 5/8/16 को प्रस्तुत। 5/8/16

विरूद्ध

उत्तरार्थीगण :– 1. श्रीमति दीपा चटर्जी पति स्व.पी.के.चटर्जी, निवासी– प्रेम नगर कृपाल चौक मदन महल, (काली बाड़ी के पास) जबलपुर, (म.प्र.)

2. सौमित्र चटर्जी पिता स्व. श्री पी.के.चटर्जी, निवासी– प्रेम नगर कृपाल चौक मदन महल, (काली बाड़ी के पास) जबलपुर, (म.प्र.)

3. श्रीमति सुष्मिता दास पति कोमल दास पिता स्व.पी. के.चटर्जी निवासी– के. 10 यासिका ब्यूटी पार्लर सुविधा केन्द्र (मार्केट) के सामने वाली गली, पौराणिक जी के मकान के सामने द्वितीय मंजिल,शक्ति नगर,मदन महल, जबलपुर,म.प्र.

4. प्रतीकधर चौधरी पिता दिलीप कुमार धर, निवासी– 1032 डी.एम.जी. स्कूल के पास महावीर कॉलोनी हाथीताल तहसील व जिला जबलपुर, (म.प्र.)

5. श्रीमति रेशमा सावलानी पति श्री मुरलीधर सावलानी, निवासी– 1159, आदर्श कन्या स्कूल के सामने प्रेमनगर, मदनमहल, जबलपुर, (म.प्र.)

6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभागं कोतवाली, जबलपुर, म.प्र.

7. अधीक्षक भू–अभिलेख डायवर्सन जबलपुर, कलेक्ट्रेड कार्यालय, जबलपुर, (म.प्र.)

B.L. 5/8/16

-2- नि.स. 2617-5/16
(जबलपुर)

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 के तहत

पुनरीक्षणकर्तागण माननीय न्यायालय के समक्ष विनम्र निवेदन करते हैं:–
" पुनरीक्षणकर्तागण उत्तरार्थी क्र. 7 न्यायालय भू–अभिलेख डायवर्सन जबलपुर कलेक्ट्रेड कार्यालय, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा राजस्व प्रकरण क्र. 3704/अ–6/2013–14 पारित आदेश दिनांक 31.10.2014 से व्यथित होकर अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग कोतवाली, जबलपुर के समक्ष राजस्व अपील क्र. 39/अ–6/2015–16 प्रत्यर्थी क्र. 1 के विरूद्ध प्रस्तुत किया था प्रत्यर्थी क्र. 2 लगायत 4 हितबद्ध पक्षकार हैं इसलिये उन्हें भी पक्षकार बनाकर पुनरीक्षण याचिका अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर द्वारा पारित किये गये आलोच्य आदेश दिनांक 30.07.2016 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष इस आधार पर प्रस्तुत की जा रही है क्योंकि श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर में किसी भी पीठासीन अधिकारी को द्वितीय अपील श्रवण किये जाने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है"

पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण सगी बहनें हैं उनके पिता स्व. कर्नल एम.के. चटर्जी थे पुनरीक्षणकर्तागण के पिता के सगे भाई स्व. पी.के.चटर्जी थे जो कि पुनरीक्षणकर्तागण के सगे चाचा थे जो उत्तरार्थी क्र. 1 के पति एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एवं 3 के पिता थे इस तरह उत्तरार्थी क्र. 1 सगी चाची हैं एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एवं 3 सगे चचेरे भाई एवं बहन हैं इस तरह पुनरीक्षणकर्तागण एवं उत्तरार्थी क्र. 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य हैं ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण के पिता स्व. कर्नल एम.के.चटर्जी एवं उत्तरार्थी क्र. 1 के पति एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एवं 3 के पिता स्व. पी.के.चटर्जी के पिता स्व. श्री डी.के.चटर्जी थे जो कि वादीगण के दादा थे एवं उत्तरार्थी क्र. 1 के ससुर एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एवं 3 के दादा थे, स्व. डी.के. चटर्जी ने अपने जीवनकाल में मौजा महेशपुर न.बं. 662, प.ह.नं. 32 नया, 6 रा.नि.मं. जबलपुर 1 तहसील व जिला जबलपुर स्थित डायवर्टेड खसरा नं. 52, 51, 66 का भाग प्लाट नं. 11 कुल रकवा 7725 वर्गफुट रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1951 को क्रय कर स्वामित्व व अधिपत्य प्राप्त किये थे।

3. यह कि, पुनरीक्षणकर्तागण के दादा एवं उत्तरार्थी क्र. 1 के ससुर एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एव 3 के दादा स्व. डी.के.चटर्जी का निधन के उपरांत उनके स्वामित्व व अधिपत्य की उपरोक्त कंडिका 2 में उल्लेखित संपत्ति में विधिक उत्तराधिकारी होने के आधार पर वादीगण के पिता स्व. कर्नल एम.के.चटर्जी का आधे भाग पर अविवादित रूप से हक व अधिकार है इसी तरह उत्तरार्थी क्र. 1 के पति एवं उत्तरार्थी क्र. 2 एवं 3 के पिता स्व. पी.के.चटर्जी का भी अविवादित रूप से हक अधिकार आधे भाग पर उत्तराधिकारी होने के आधार पर बनता है पुनरीक्षणकर्तागण के माता–पिता का निधन हो चुका है

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2617-I/16 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-10-16	आवेदक की ओर से सूचना उपरान्त कोई उपस्थित नहीं। समय समय पर तीन बार पुकार लगवाई गई। प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	
B/15		B

[कृ. प. उ.